

फा.सं. 14-1/2023-अकादमिक(लेखा परीक्षा)
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान
(यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत मानित विश्वविद्यालय)
17-बी, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली-110 016

जनवरी 23, 2023

कार्यालय आदेश संख्या 404/2022-2023-नीपा

व्यय विभाग, शिक्षा मंत्रालय के दिनांक 01.12.2020 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 21/3/2020-ई.॥(बी) और कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय व्यय), इंद्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली के 1 दिनांक 19.01.2023 के हाफ मार्जिन नं. 1 के अनुसरण में, निम्नलिखित कर्मचारियों से वर्ष 2020 के अप्रैल एवं मई माह के परिवहन भते की वसूली की जाएः-

- वे कर्मचारी, जो लॉकडाउन अवधि के दौरान एक पूरे कैलेंडर माह में कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सके।
- जो कार्यालय नहीं जा सके और पूरे कैलेंडर माह में घर से काम किया हो।
- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से अक्षम कर्मचारी और गर्भवती महिला कर्मचारी जिन्हें कार्यालय आने से छूट दी गई थी और छूट अवधि के दौरान घर से काम करने का निर्देश दिया गया था।
- गैर-हकदार अधिकारी/कर्मचारी, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण सार्वजनिक परिवहन सुविधा की अनुपलब्धता के कारण पूरे कैलेंडर माह के दौरान कार्यालय और निवास के बीच आने-जाने के लिए अस्थायी रूप से आधिकारिक कार की सुविधा प्रदान की।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(डॉ. डी.एस. ठाकुर)
प्रशासनिक अधिकारी (प्रभारी)

सेवा में:

प्रभारी - अकादमिक प्रशासन
प्रभारी - कार्मिक प्रशासन

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. कुलपति के वरिष्ठ निजी सचिव - कुलपति को सूचनार्थ
2. कुलसचिव के निजी सहायक - कुलसचिव को सूचनार्थ
3. वित्त अधिकारी
4. सिस्टम एनालिस्ट - अनुरोध है कि इसे संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करें
5. मास्टर फाइल
6. अनुभाग गार्ड फाइल